राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 02 अप्रेल, 2010

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

I- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह विधुड़ी/श्री पानाचन्द/श्री सी.एल.प्रेमी /श्री दौलतराज नायक/ श्री प्रेमचन्द नागर/श्री गोविन्द सिंह डोटासरा/श्री शाले मोहम्मद/श्री भगवान सहाय सैनी एवं सुश्री रीटा चौधरी, सदस्य, विधान सभा, जिला चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना में कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

II- राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री कालीचरण सराफ/श्री मोहनलाल गुप्ता/श्री अशोक परनामी/श्री प्रताप सिंह खाचरियावास/डॉ. रघु शर्मा/श्री रमेश खण्डेलवाल/श्री कमल बैरवा/श्री मदनलाल वर्मा/ श्री पदमाराम/श्री मेवाराम जैन/कर्नल सोनाराम चौधरी/श्री राजेन्द्र सिंह विधुड़ी/श्री करण सिंह एवं श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा, जयपुर की धरोहर मानसागर झील (जलमहल) को निजी कम्पनी को लीज पर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री, लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त सचिवालय की स्पेशल रिपोर्ट दिनांक 23.3.1993 सदन की मेज पर रखेंगे ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा, सीकर के विधि महाविद्यालय के लिये अलग भवन एवं भूमि उपलब्ध करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

II-- श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा, गोविन्द देवजी मंदिर, जयपुर में ठाकुर जी की प्रतिमा को श्रद्धालुओं द्वारा सैंकड़ों वर्षों से चढ़ाई जाने वाली माला पर मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी द्वारा गत वर्ष कार्तिक के मिहने में लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाये जाने तथा गोविन्द देवजी के मंदिर का सरकार द्वारा जनहित में अधिग्रहण किये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..2..

5. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(I) श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-6)

"राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान निजी विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-5)

"निजी विश्वविद्यालय विधियों को संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..3..

(III) पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010

(I) डॉ. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-11)

"राजस्थान राज्य में पेसिफिक उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विधेयक, 2010

(I) श्री हरजीराम बुरड़क, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-13)

"विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों और साथ ही संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं या इकाइयों में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञानों और उसके सहबद्ध विज्ञानों की आधुनिक पद्धतियों से समुचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सुनिश्चित करके राजस्थान राज्य में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञानों के विकास के प्रयोजनों के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी...4...

(V) राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010

(I) बीना काक, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्या-14)

"राज्य में पर्यटन व्यवसाय और उद्योग के विकास को त्वरित गति प्रदान करने और राज्य में आने वाले पर्यटकों को पर्यटन के विभिन्न गन्तव्यों पर सुविधाएं प्रदान करने और उनकी यात्रा को असुविधा-मुक्त बनाने के लिये कतिपय उपाय करने और साथ ही उनके सम्पर्क में आने वाले या उनके संबंध में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करने और विरासत स्थलों पर पर्यटकों के आवागमन को बढ़ाने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 01 अप्रेल, 2010